उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5
संख्या-30/2016/70जेपी/22-5-16-16(जेवी)/2016
लखनऊ : दिनांक- 21 दिसम्बर, 2016

नियुक्ति निरस्तीकरण

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों के अधीन शासनादेश संख्या-123/2015/605/22-4-15-48(59)/12, दिनांक 05 जून 2015 द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 सत्यदेव सिंह, निवासी-सरस्वतीपुरम जंगल मातादीन, निकट पी0ए0सी0 गैस गोदाम, थाना-शाहपुर, जनपद-गोरखपुर को जिला कारागार, गोरखपुर का जेल विजिटर नियुक्त किया गया था।

2- सम्यक् विचारोपरान्त जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर-671(ब) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 सत्यदेव सिंह की जिला कारागार, गोरखपुर में गैर सरकारी जेल विजिटर के पद पर की गयी उक्त नियुक्ति को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते है।

एस0 के0 रघुवंशी
सचिव।

संख्या-30/2016/70जेपी(1)/22-5-16-तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।
5- अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
6- सम्बन्धित व्यक्ति।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in